

बिहार-सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
संगठन एवं पद्धति प्र०

प्रेषक:-

श्री मन्त्रेश्वर झा,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव
सरकार के सभी सचिव/विशेष सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 9 सितम्बर, 83

विषय:- सचिकाओं का तीन दिन में निष्पादन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य के प्रशासनिक ढाँचे को चुस्त दुरुस्त करने के लिये यह आवश्यक है कि सरकारी कार्यालयों में सभी स्तरों पर सचिकाओं का निष्पादन समय पर और सौ प्रता से हो।

2- सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में पुनः यह निर्णय लिया है कि तीन दिनों के भीतर सचिकाओं के निष्पादन के लिए दत्ते जो निदेश है उक्त कार्यालयों में दृढ़तापूर्वक किया जाय। इसके प्रसंग में कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के द्वारा परिपत्र सं०-ओ०एम०/आर-०१/७९-३५, दिनांक 16-2-79, सी०एस० 03/एम०-017/80-2800, दिनांक 2-8-80 तथा ओ०एम०/एम०-040/80/80-429, दिनांक 13-12-80 द्वारा अनुदेश सभी विभागों को पूर्व में परिवारित किया जा चुका है।

3- सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि तीन दिनों के बाद जो सचिकाएँ निष्पादित की जायं उनमें टिप्पणियाँ लाल रंग की स्याही से अंकित की जाय अथवा टिप्पणी देने वाले पदाधिकारी लाल रंग की स्याही से चिलख के लिए सक्षम स्पष्टीकरण दें एवं हस्ताक्षर करें।।

4- अतः उक्त के प्रसंग में सरकार द्वारा निर्गमित प्रासंगिक परिपत्रों एवं आदेशों को एक-एक प्रतिलिपि भर्त्सन करते हुये अनुरोध करना है कि कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से उपर्युक्त निदेशों को अनुपालन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा इस सरकारी आदेश का जो भी उल्लंघन करे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

रा० ना० प्रजाब/

विभागाध्यक्ष,
मन्त्रेश्वर झा
आयुक्त एवं सचिव। 17/9